



2026:AHC:11577

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट - ख संख्या - 2276/2025

धर्मबीर सिंह

.....याचिकाकर्ता(ओं)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 3 अन्य

.....प्रतिवादी(ओं)

आवेदक(ओं) के वकील : अरविन्द कुमार वर्मा, महेश शर्मा

विरोधी पक्ष(ओं) के वकील : सी.एस.सी.

न्यायालय संख्या - 54

माननीय न्यायमूर्ति दिनेश पाठक,

1. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता तथा राज्य प्रतिवादियों के विद्वान स्थायी अधिवक्ता को सुना और अभिलेख का अवलोकन किया।

2. प्रस्तुत याचिका, अन्य बातों के साथ-साथ, निम्नलिखित अनुतोष की मांग करते हुए दायर की गई है:-

"1. परमादेश की प्रकृति का एक रिट, आदेश या निर्देश जारी किया जाए, जिसमें प्रतिवादियों को यह निर्देश दिया जाए कि वे बिजनौर कैंप, बुलंदशहर के चकबंदी निपटान अधिकारी द्वारा अपील संख्या 76/582/1561, 'राम चंद्र बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य' में दिनांक 25.10.1990 को पारित आदेश के संबंध में, 'उत्तर प्रदेश चकबंदी और जोत अधिनियम' की धारा 6(2) के प्रावधानों के तहत, राजस्व अभिलेख में प्रविष्टि करें और उसे ठीक करें; तथा प्रतिवादियों को यह भी निर्देश दिया जाए कि वे खाता संख्या 00058, खेत संख्या 70, ग्राम ढाकौली, परगना और तहसील: स्याना, जिला: बुलंदशहर की नई खतौनी की प्रति जारी करें।"

2. याचिकाकर्ता की शिकायत यह है कि राज्य के अधिकारी, 'उत्तर प्रदेश चकबंदी अधिनियम' की धारा 6(2) के तहत निर्धारित कानूनी प्रावधानों के अंतर्गत, चकबंदी के बंदोबस्त अधिकारी द्वारा दिनांक 25.10.1990 को पारित आदेश को प्रभावी नहीं कर रहे हैं।

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



3. यह निवेदन किया जाता है कि विचाराधीन इकाई/गाँव को यूपीसीएच अधिनियम की धारा 6(1) के तहत डी-नोटिफाई कर दिया गया है। यूपीसीएच अधिनियम की धारा 6(1) के तहत चकबंदी प्रक्रिया को रद्द करने से पहले, चकबंदी बंदोबस्त अधिकारी द्वारा दिनांक 25.10.1990 को पारित आदेश अंतिम रूप प्राप्त कर चुका है, क्योंकि किसी भी पक्ष द्वारा किसी भी सक्षम न्यायालय के समक्ष उसे चुनौती नहीं दी गई है। इसलिए, राज्य प्राधिकारियों का यह विधिक दायित्व है कि वे यूपीसीएच अधिनियम की धारा 6(2) के तहत प्रतिपादित विधि के प्रावधानों के अनुसरण में, भू-अभिलेखों में उक्त आदेश को कार्यान्वित करें।

4. विद्वान स्थायी वकील ने यह तर्क दिया है कि याचिकाकर्ता की शिकायत का निवारण समेकन के उप-निदेशक द्वारा अधिक उचित रूप से किया जा सकता है, जिन्हें यह निर्देश दिया जा सकता है कि वे याचिकाकर्ता द्वारा अपनी शिकायत दर्शाते हुए प्रस्तुत किए जाने वाले नए अभ्यावेदन पर, इस न्यायालय द्वारा निर्धारित एक निश्चित समयावधि के भीतर निर्णय लें।

5. इस संदर्भ में, जैसा कि ऊपर बताया गया है, इस मामले को लंबित रखने से कोई उपयोगी उद्देश्य पूरा नहीं होगा; इसलिए, यह न्यायालय मामले के गुण-दोष पर विचार किए बिना, वर्तमान रिट याचिका का अंतिम रूप से निपटारा करना उचित समझता है। इसके साथ ही, याचिकाकर्ता को यह स्वतंत्रता दी जाती है कि वह अपनी शिकायतों (जैसा कि इस रिट याचिका में उल्लेखित है) के संबंध में, आज से दो सप्ताह की अवधि के भीतर, प्रतिवादी संख्या 3 (उप-निदेशक, चकबंदी) के समक्ष एक नया अभ्यावेदन प्रस्तुत करे। इस अभ्यावेदन के साथ, याचिकाकर्ता को इस आदेश की एक प्रमाणित प्रति और वर्तमान रिट याचिका की एक स्व-प्रमाणित प्रति भी संलग्न करनी होगी। प्रतिवादी संख्या 3, स्वयं या कानून के तहत अपेक्षित सक्षम प्राधिकारी के माध्यम से, इस अभ्यावेदन पर विचार करेगा और कानून के अनुसार, यथाशीघ्र—और यदि कोई अन्य कानूनी बाधा न हो तो, अधिमानतः उसके बाद तीन महीने की अवधि के भीतर—इस पर निर्णय देगा।

6. उपर्युक्त अवलोकन के साथ, वर्तमान रिट याचिका का निपटारा किया जाता है।

जनवरी 16, 2026

नीतू

(माननीय न्यायमूर्ति दिनेश पाठक)

“Translated, Corrected & Authenticated by SHIKHAR CHANDRA

“अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



(ADVOCATE) HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD

A.O.R - A/S1272/2022

UP REGN. No. UP09028/2020”

Translated Version. Not for Legal Use.

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"